सचिव, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, पश्चिम बंगाल

बनाम

अयान दास व अन्य

28 सितंबर 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी सथाशिवम, जज)

शिक्षा-परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

शिक्षा-परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन-वैधानिक प्रावधानों के अभाव में-अनुज्ञेयता-अभिनिर्धारण: ऐसा पुनर्मूल्यांकन दुर्लभ है-यह केवल असाधारण मामलों में ही अनुमत है जैसे कि किसी प्रश्न का मूल्यांकन न करना या मूल्यांकन का परीक्षण संस्था द्वारा निर्धारित मानदंडों के विपरीत होना।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न वैधानिक प्रावधान के अभाव में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति के संबंध में हैः उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने इस तरह के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया था।

अपील स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारितः एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता और उन्हें रद्द किया जाये। आम तौर पर न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओ को उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण

हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश नहीं दिये जाने चाहिए, जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं हो कि या तो कुछ प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया गया है या निकाय द्वारा मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के विपरीत किया गया है। इस प्रकार का परीक्षण दुर्लभ है और केवल असाधारण मामलों में ही किया जा सकता है। [पैरा 7, 8 और 9] [468-बीः 466-एचः 467-एः एच]

1. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम परितोष भूपेश कुमर सेठ एवं अन्य [1984]4 एस.सी.सी. 27

2. प्रमोद कुमार श्री वास्तव बनाम चैयर मेन बिहार लोक सेवा आयोग पटना एवं अन्य [2004]6 एस.सी.सी. 714

3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवेश रंजन पांडा एवं अन्य [2004]13714 और अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा एवं अन्य बनाम डी. सुवान्कर एवं अन्य [2007]1 एस.सी.सी. 603

4. कानपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य ए.आई.आर. (1983)एस.सी. 1230

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4560/2007

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एमएटी संख्या 1533/2005 में पारित निर्णय दिनांकित 15.06.2005 के विरुद्घ।

वादी की ओर से शिप्रा घोष।

परिवादी की ओर से रउफ रहीम, तारा चंद्र शर्मा, नीलम शर्मा और राजीव शर्मा।

निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायाधीश द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्ड़ पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रतिवादी नम्बर-1 की अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र में प्रस्तुत की उत्तर तालिका को पुनः परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संश्रेप में इस प्रकार है:

प्रतिवादी नम्बर-1 ने पश्चिम बंगाल कांउसिल हायर सेकेंडरी एज्यूकेशन द्वारा वर्ष 2004 में आयोजित माध्यमिक (सेकेंडरी) परीक्षा उत्तीण की। प्रतिवादी नम्बर-2, प्रतिवादी नम्बर-1 के पिता है। हायर सेकेंडरी परीक्षा, 2004 के परिणामों की घोषणा के बाद की गई जांच में प्रतिवादी नम्बर-1 के भौतिकी (सैद्वान्तिक) प्रश्न-पत्र.।। के परिणाम में दो अंक जोड़े गए। इसके पश्चात् प्रतिवादी नम्बर-1 ने एक रिट याचिका दायर कर काउंसिल ने एकल पीठ को यह निर्देश देने की मांग की कि वे उसकी विभिन्न प्रश्न-पत्रों की उत्तर-पुस्तिकाएं प्रस्तुत करें। यह उत्तर-पुस्तिकाएं न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 21-12-2004 की पालना में प्रतिवादी नम्बर-1 द्वारा रुपए पांच हजार काउंसिल में जमा कराने पर न्यायालय में

प्रस्तुत की। प्रकरण दिनांक 27-01-2005 हेतु रखा गया एवं प्रतिवादी नम्बर-1 के अधिवक्ता को यह मौका दिया गया कि वे उत्तर-पुस्तिकाओं का निरीक्षण कर सकते हैं। दिनांक 27-01-2005 को विद्वान एकल पीठ ने उत्तर-पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए एवं साथ ही प्रतिवादी नम्बर-1 को अंग्रेजी के प्रथम प्रश्न-पत्र व उन अतिरिक्त अंकों को भी शामिल करते हुए, जो निरीक्षण के दौरान सही उत्तर का नहीं दिया जाना प्रकट हुआ था, को भी जोड़ते हुए नई अंकतालिका जारी करने के भी निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के क्रम में नई अंकतालिका प्रतिवादी नम्बर-1 को जारी की गई तथा फिर एकल पीठ द्वारा दी गई अनुमति के क्रम में प्रतिवादी नम्बर-1 ने पूरक शपथपत्र प्रस्तुत किया। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल पीठ ने संबंधित विवादित उत्तर-तालिका का पुनः निर्धारण किसी अन्य परीक्षक से कराने के भी निर्देश दिए गए। काउंसिल उतरदाता की इस आपत्ति को, कि इस प्रकार अंकतालिका के पुनः परीक्षण के कोई प्रावधान नहीं है, को विद्वान एकल पीठ ने खारिज कर दिया। काउंसिल उतरदाता ने यह जाहिर किया कि हालांकि प्रतिवादी नम्बर-1 को अनुमति मिल चुकी है, उसने उत्तर-तालिका के मूल्यांकन में कोई त्रुटि होना इंगित नहीं किया है। यह भी बताया गया कि किसी भी कानून में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, जो इस प्रकार के निरीक्षण की अनुमति देते हो, लेकिन विद्वान एकल पीठ के निर्देशों के क्रम में निरीक्षण करवाया गया है।

उतरदाता-काउंसिल ने विद्वान एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रश्न उठाते हुए अपील प्रस्तुत की, जिसे खण्ड पीठ ने प्रश्नगत आदेश के जरिए खारिज कर दिया और यह कहा कि उन्होंने भी स्वयं ने उत्तर-तालिका देखी है और वे इस बात से सन्तुष्ट है कि पुनः मूल्यांकन की गुंजाइश है।

4. उतरदाता के विद्वान अभिभाषक की यह दलील रही कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, जिसकी पुष्टि खण्डपीठ द्वारा की गई है, विधिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है।

5. प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता - राज्य ने अपीलकर्ता के तर्क का समर्थन किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ताओं ने निवेदन किया कि वे उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में लाए गए बिन्दुओं के अलावा न्यायालय में कोई अन्य पक्ष नहीं रखना चाहते हैं।

6. विधिक प्रावधानों के नहीं होते हुए भी उत्तर-तालिकाआ के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कई केसों पर विचार किया गया है। इस तरह का पहला मामला महाराष्ट्रा राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम परितोष भूपेश कुमार सेठ और अन्य का है, जो [1984]4 एससीसी 27 में प्रकाशित किया गया है। उक्त मामले में यह पाया गया कि अंतिम परिणामों की

सार्वजनिक जांच की जानी चाहिए और वैधानिक प्रावधानों के अभाव में, न्यायालय उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन/पुनः परीक्षा का निर्देश नहीं दे सकता है।

7. न्यायालयो को साधारणतया याचिकाकर्ताओं को उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण हेतु निर्देश नहीं देना चाहिए, जब तक की या तो कुछ प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाना बताया गया हो या मूल्यांकन परीक्षा निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के विपरीत किया गया हो। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में निकाय प्रश्नों के मॉडल उत्तर उपलब्ध करवा सकता है जिसमें परीक्षार्थी न्यायालयों को संतुष्ट करते हैं कि बोर्ड द्वारा जारी मॉडल उत्तर से संबंधित निकाय द्वारा स्वीकार किए गए उत्तर भिन्न है तभी न्यायालय परीक्षार्थी को निरीक्षण हेतु उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है। कानपुर विश्वविद्यालय और अन्य के मामले में वी. समीर गुप्ता और अन्य, एआईआर [1983] एससी 1230 इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:-

> "16. विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए श्री कक्कड़ ने तर्क दिया कि किसी उत्तर कुंजी की शुद्धता को तब तक चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि देखने से ही वह गलत न हो। हम इस बात से सहमत हैं कि उत्तर कुंजी को सही मान लिया जाना चाहिए जब तक कि यह गलत

साबित न कर दी जाए और इसे तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या युक्तियुक्तता की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाए। इसे स्पष्ट रूप से गलत साबित किया जाना चाहिए, अर्थात यह ऐसी होनी चाहिए कि युक्तियुक्त कारण रखने वाले व्यक्तियों का एक समूह, जो उस विषय विशेष में पारंगत हो, इसे सही नहीं मानता हो। इस मामले में विश्वविद्यालय का दिया गया यह तर्क बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों द्वारा गलत साबित होता है, जो आमतौर पर यूपी में छात्रों द्वारा पढ़ी जाती हैं। यह पाठ्य पुस्तकें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और उत्तर कुंजी में दिया गया उत्तर गलत है।

17. जिन छात्रों ने अपनी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे यूपी के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ किताबें निर्धारित हैं और छात्रों के पास विषयों का ऐसा ज्ञान है, जो उन पाठ्य-पुस्तकों से मिलता है। वे पाठ्य पुस्तकें छात्रों के मामले का पूर्ण समर्थन करती हैं। यदि यह संदेह का मामला होता, तो हम निस्संदेह मॉडल उत्तर को

प्राथमिकता देते। लेकिन अगर मामला संदेह के दायरे से परे है, तो छात्रों को ऐसा उत्तर न देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा जो मॉडल उत्तर के अनुरूप हो, यानी ऐसा उत्तर न दे जो गलत साबित हो।"

8. यह केवल असाधारण मामलों में ही किया गया जा सकता है, जो कि दुलर्भ है। महाराष्ट्र बोर्ड मामले (पूर्व उल्लेखित) में निर्धारित सिद्धांतों को बाद में प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, पटना और अन्य में पालन किया गया है । (2004 (6) एससीसी 714), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा एवं अन्य। (2004 (13) 714) और अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा और अन्य। वी. डी. सुवंकर और अन्य। (2007) 1) एससीसी 603)

9. कानून में स्थापित स्थिति को देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता और उन्हें रद्द किया जाये।

10. सुवांकर के मामले (पूर्व उल्लेखित) में अन्य बातों के अलावा यह भी निर्धारित किया गयाः

"5. बोर्ड ने जुर्माने अधिरोपित करने के विरूद्ध अपील की है। *माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम परितोष भूपेश कुमार सेठ आदि*

(एआईआर 1984 एससी 1543) के मामले में जनहित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह पाया कि सार्वजनिक परीक्षाओं के परिणाम कुछ अंतिमता के साथ घोषित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थियों की उपस्थिति में सत्यापन, निरीक्षण एवं पुनर्मूल्यांकन को एक अधिकार के रूप में अनुमति दी जाती है तो यह विशेष रूप से अभ्यर्थियों की रैंकिग आदि के सम्बन्ध में गंभीर एवं अनिश्चितकालीन अनिश्चित्ता पैदा कर सकती है। इसके अलावा प्रक्रिया में किये गये अत्यधिक श्रम एवं समय पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। न्यायालय को विशेषकर शैक्षणिक मामले में तकनीकी विशेषज्ञता एवं पेशेवर लोगों द्वारा जिन्हे दिन प्रतिदिन के काम काज का समृद्ध अनुभव है एवं नियंत्रित करने वाले विभागों द्वारा बनाया गया है, में क्या सही एवं विवेकपूर्ण है के सम्बन्ध में अपनी राय थोपने से बचना चाहिए। न्यायालय द्वारा इस प्रकार की समस्याओं में जो कार्यप्रणाली में शामिल जमीनी स्तर की समस्यों से जुड़ा हो तथा वास्तविकता से परे हो के लिए सटीक एवं विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टीकोण को अपनाना पूरी तरह से गलत होगा। यदि आदर्शवादी दृष्टीकोण के विपरीत कोई

व्यवहारिक विरोध होगा तो यह पूर्णतः अविवेकपूर्ण परिणाम निकलेगा।

उपरोक्त आधार पर बोर्ड द्वारा शून्य दोष प्रणाली या लगभग अचूक प्रणाली के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासन पर विचार किया जाना चाहिए।"

11. जुर्माने के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं देते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजीत कुमार हिंगर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।